

भेदभाव

शिकागो मनुष्य अधिकार अध्यादेश और न्यायपूर्ण गृह-प्रबन्ध अध्यादेश निम्नलिखित किसिभी श्रेणी के आधार पर मतभेद करने का प्रतिषेध करती है:

नसल	लिंग
रंग	यौन अभिविन्यास
वंश	लिंग पहचान
राष्ट्रीय प्रारंभ	वैवाहिक स्थिति
धर्म	माता पिता का दर्जा
विकलांगता	सैन्य निर्वहन स्थिति
उम्र	आमदन का साधन
विश्वस्तता की परख (सिर्फ रोजगार वाले)	

भेदभाव हर क्षेत्र जैसे के घर, रोजगार, सरकारी आवास, उधार, सौदे अथवा प्रतिज्ञा पत्र में करना मना है।

भेदभाव की शिकायत कैसे दर्ज करवाए ?

कोई भी व्यक्ति जो भेदभाव का शिकार है तो वह अपनी शिकायत मनुष्य अधिकार आयोग में करवा सकता है। भेदभाव की घटना जो के शिकागो में हुई हो, वो शिकायत १८० दिनों के अंदर होनी चाहीये।

निर्णय प्रक्रिया अथवा जुर्माना

आयोग भिवाग हर शिकायत की जाँच करता है। यदि कही उल्लंघन के ठोस सबूत मिल जाते हैं तो शिकायतकर्ता अपना मामला प्रशासन के आगे ले जा सकता है, यहाँ पे दोषी अपना बचाव प्रस्तुत करेगा। यदि आयोग भिवाग यह निर्णय कर देता है कि उलघना हुई थी तो उलघना करने वाले को जुर्माने के साथ साथ शिकायत करता के नुक्सान का खर्च अथवा वकालत की फीस भी देनी पड सकती है। आयोग भिवाग उलघना करने वाले को मतभेद की प्रक्रिया भविष्य मे रोकने के लिए खास कदम उठाने के हुकम भी दे सकती है।



नफरत के आधार पर जुर्म

यदि आपको लगता है कि आप नफरत के आधार पर हुए जुर्म का शिकार हैं, तो ९११ पे टेलीफोन करके तुरंत शिकागो पुलिस से सम्पर्क करे। यह अनिवार्य है कि आप पुलिस को बताये कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि जुर्म भेदभाव के आधार पर हुआ है। यदि आपको भेदभाव के आधार पर हुए जुर्म को दर्ज करवाने के लिए किसी भी प्रकार की मदद की जरूरत है तो ३१२-७४४-४८७४ पे संपर्क करे।

आयोग भिवाग नफरत के आधार पर हुए जुर्म से पीड़ित लोगों की मदद करता है। यह जुर्म पीड़ित की नसल, रंग, लिंग, धर्म, उम्र, राष्ट्रीय प्रारंभ, वंश, यौन अभिविन्यास और विकलांगता से प्रेरित होते हैं।

नफरत के आधार पर हुए जुर्म कटरता का सन्देश है, परन्तु एन पे तभी कोई एक्शन लिया जा सकता है जब यह किसी दूसरे जुर्म को जनम देते हैं, जैसे कि मार-पीट, हमला, क्रोधित हमला, माली नुक्सान, घर या वाहन पे अपराधित अत्याचार, भीड कार्रवाई, लूटमार, टेलीफोन पे परेशान करना या कोई भी कार्य जो कि नफरत के उदेश् को स्थापित करे।

शिकागो शहर नफरत और कटरता के विरोध में ठोस कदम उठाता है। सब नागरिकों की मदद से, हम नफरत के आधार पे होने वाले जुर्मों को कम करने और यह सुनिश्चित करना कि अपराधी को कानून के आधार पे कड़ी सजा मिले का प्रयास कर सकते हैं।

सामाजिक तनाव रोकथाम योजना

आयोग भिवाग नसल, धर्म या किसी भी कारण से उत्पन्न होने वाले सामाजिक तनाव और इससे पैदा होने वाले जुर्म अथवा हिंसा को रोकने पे काम करता है। कार्यकर्ता मध्यस्थता और मतभिन्नता को सुलझाने की विधिओं में निपुण हैं और जो समाज इस तनाव से गुजरता है उसे समाधान देती है।

शिक्षा

भेदभाव, नफरत के आधार पे होने वाले जुर्म और दलों के बीच तनाव को रोकने अथवा कम करने का एक मूल अंश शिक्षा है। आयोग भिवाग मानव सम्बंद कार्यशाला से सम्बंधित भिन्न सुभिदाए पर्दान करता है। यह शिकागो मनुष्य अधिकार अध्यादेश और न्यायपूर्ण गृह-प्रबन्ध अध्यादेश, भेदवाभ कम् करना, नफरत के आधार पे जुर्म अथवा विकलांग व्यक्ति को सार्वजनिक स्थानों पे पहुचने कि मदत जैसे अन्य प्रकार के विषय पर स्कूलों, धार्मिक संस्थाओं, युवा संस्थाओं और सामाजिक दलों में प्रदर्शन करती है।

कार्यशाला के इस प्रकार के अन्य कार्यक्रम से सम्बंधित अधिक जानकारी के लिए कृपया आयोग भिभाग में संपर्क करे: ३१२-७४४-२५७९



सलाहकार परिषद

मनुष्य अधिकार भिवाग के तीन सलाहकार परिषद है जिसके सदस्य मेयर् नियुक्त करता है जो तीन साल निश्चित काल पे काम करते हैं: निष्पक्षता सलाहकार परिषद, महिला और एलजीबीटी प्रकाशन सलाहकार परिषद, सेवानिवृत्त सैनिक सलाहकार परिषद। जो परिकरियां मतभेदित प्रभाव डालती है, उनका संचालन परिषद और आयोग भिवाग मिल कर करते हैं। इसके इलावा, सरकार और समाज में ताल मेल बनाए रखने, अन्य व्यवस्थाओं को बढ़ावा देने में परिषद संपर्क का काम करती है।

निष्पक्षता सलाहकार परिषद

यह परिषद ऊँन शिकागो निवासियों से बनी है जो अफ्रीका, अरब, एशिया और लातीनी लोगो का प्रतिनिधित्व करते हैं।

महिला और एलजीबीटी प्रकाशन सलाहकार परिषद

यह परिषद उन् शिकागो निवासियों को मिलाती है जो महिलाओं, समलिंग कामी महिलाओं, समलैंगिक, विपरीतलिंगी और उभयलिंगी का प्रतिनिधित्व करते हैं।

सेवानिवृत्त सैनिक सलाहकार परिषद

यह शिकागो के सेवानिवृत्त सैनिकों से बनी है।

आयुक्तों की बोर्ड

Mona Noriega, Chairperson

मोना नोरिएगा, सभापति

Joanna Borowiec

जोएना बोरोविक

Tiffany M. Ferguson

टिफनी एम्म. फर्गुसन

Andrew Kang

एंड्रू कंग

Ray J. Koenig III

रे जे. कोइनिग III

Samuel Miller, Jr.

सामुएल मिलर, जूनियर

David J. Mussatt

डेविड ज. मुसट

Nabeela Rasheed

नबीला रशीद

संपर्क करे:

शिकागो मनुष्य संबंध अध्यादेश

७४० उत्तर सद्गविक स्ट्रीट, सुइट ४००

शिकागो, इलेनॉइस ६०६५४

मुख्य: ३१२-७४४-४१११

फैक्स: ३१२-७४४-१०८१

टी. टी. य.: ३१२-७४४-१०८८

ईमेल: cchr@cityofchicago.org

<http://www.cityofchicago.org/humanrelations>

शिकयत करने के लिए:

रोजगार: ३१२-७४४-४४७४

आवास: ३१२-७४४-५८७९

सरकारी आवास: ३१२-७४४-५८७९

उधार: ३१२-७४४-५८७९

सामाजिक तनाव: ३१२-७४४-२५७१

नफरत के आधार पर जुर्म: ३१२-७४४-४८७४

शिक्षा और कार्यशाला: ३१२-७४४-२५७१

हमें फेसबुक पे पसंद करे <https://www.facebook.com/ChicagoCHR>

Yasmin Bates-Brown

याजिमन बेट्स -ब्राउन

Naderh H. Elrabadi

नदेरह एच. ए?लरबदी

Rochelle Grimbau

रोशेल गिर्मबाउ

Stephanie A. Kanter

स्टेफनी ए. कैटर

Juan Carlos Linares

वाहैन कार्लोस लिनारेस

Leisa Y. Mosley

लिसा वाय मोस्ली

Jaz Park

जेज पार्क

Curtis Tarver II

करटिस टारवेर II

C | C | H | R



Chicago's Discrimination Laws-
शिकागो भेदभाव कानून

Hate Crime Victim Assistance and-
नफरत के शिकार कि मदत

Community Tension Intervention-
समुदाय तनाव मे वीच-बचाव

Chicago Commission on
HUMAN RELATIONS

शिकागो
मानवीय संबंध समिति

